स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 171, दिनांक 08-06-2024

जनपद अयोध्या के थाना तारून में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2024 धारा में वाँछित रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आदित्य प्रताप सिंह को जनपद अयोध्या से एसटीएफ द्वारा किया गिरफ्तार।

दिनांकः 08-06-2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद अयोध्या के थाना तारून में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में वाँछित रू0 25,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आदित्य प्रताप सिंह को जनपद अयोध्या से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>-

1- आदित्य प्रताप सिंह उर्फ विक्की पुत्र विनय सिंह नि0 ग्राम रौधरी, थाना हैदरगंज, जनपद अयोध्या।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः</u>-

दिनांक 08-06-2024 को समय लगभग 16.15 बजे। थाना तारून बाजार क्षेत्र, पिपरी तिराहा, जनपद अयोध्या।

<u>आपराधिक इतिहासः</u>-

- मु0अ0सं0 54/2017 धारा 323/504/506 भादवि थाना हैदरगंज, अयोध्या उ0प्र0।
- मु0अ0सं0 208/2021 धारा 504/506 भादवि थाना हैदरगंज, अयोध्या उ0प्र0।
- मु0अ0सं0 158/2017 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना हैदरगंज, अयोध्या उ0प्र0।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 30-05-2024 को खैनीपुर निदयावा, एम0ए0 घाटपुल पर शुभम यादव पुत्र जय प्रकाश यादव नि0 भटपुरा, थाना गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर की रणवीर सिंह उर्फ बन्टी सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ रिशभ उर्फ रिशू, आदित्य सिंह, नितिन राणा व संदीप कुमार गोस्वामी से आपसी विवाद में हत्या कर दी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में नामजद पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत होने के बाद रू0 25,000/- इनामिया अभियुक्त आदित्य प्रताप सिंह उर्फ विक्की फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध एस0टी0एफ0 से सहयोग मांगा गया, जिसके क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन क्रम में ज्ञात हुआ कि थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में वाँछित इनामी अभियुक्त आदित्य प्रताप सिंह उर्फ विक्की थानाक्षेत्र तारून में आया हुआ है। इस सम्बन्ध में उप निरीक्षक श्री अतुल चतुर्वेदी, उपनिरीक्षक श्री प्रदीप सिंह, मुख्य आरक्षी नीरज पाण्डेय, मुख्य आरक्षी सुशील सिंह, मुख्य आरक्षी रामनिवास शुक्ला, मुख्य आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी बृजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव की एक टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु जनपद अयोध्या में भ्रमणशील थी, के द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर

के बताये गये उपरोक्त स्थान से उपरोक्त अभियुक्तों को आवश्यक बल प्रयोग कर उपरोक्त इनामी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आदित्य प्रताप सिंह उर्फ विक्की ने बताया कि 06 माह पूर्व शुभम यादव से उसके मित्रों का विवाद हो गया था, जिसमें शुभम यादव ने रणवीर सिंह के पैर में गोली मार दी थी और भाग गया था। तभी से हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे। दिनांक 30–05–2024 को रणवीर सिंह के मित्र नवनीत यादव ने फोन करके बताया कि शुभम एक बथडे पार्टी में आया हुआ है। नवनीत यादव की इस सूचना पर हम लोगों ने अभिषेक सिंह को शुभम यादव को लेकर आने को कहा, जिसपर अभिषेक सिंह अपनी अपाचे मोटर साइकिल से रोहित तिवारी उर्फ अंकित के साथ जहाँ पार्टी हो रही थी, वहाँ पहुँचे और शुभम को बहाने से बुलाकर अभिषेक व रोहित विशुन बाबा के स्थान पर ले आये जहाँ पर पहले से मौजूद मै आदित्य सिंह, रणवीर सिंह, संदीप कुमार गोस्वामी, और नितिन राणा स्विफ्ट डिजायर कार मे बैठे थे। वहाँ अभिषेक ने शुभम यादव की गोली मार कर हत्या कर दी। हम लोगों ने मिलकर लाश को खेमीपुल निधयांवा एमीघाट पुल के नीचे फेंक दिया। इस हत्या के सम्बन्ध में थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि का पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत होने के बाद हम लोग अलग–अलग भाग गये और लुक–छिप कर रहने लगे।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।